संख्या-8/2026/857/तीस-4-2026-30-4099(099)/113/2026

प्रेषक,

अर्चना अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर, 2026

विषयः-पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) को समायोजित करने के लिए प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या-1457-इन्फ/2026-135इन्फ/2000, दिनांक 05.09.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष-2026 और बाद के वर्षों में सेवा से बाहर आने वाले पूर्व-अग्निवीरों (Ex-Agniveers) को (04 साल की सेवा के पश्चात्) प्रवर्तन कान्सटेबल की सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गयी सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज (Horizontal) प्रकृति का आरक्षण (अर्थात अग्निवीर जिस श्रेणी का होगा, उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाये) प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसका विशेष ध्यान रखा जाये कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से आगे न बढ़े।

3- कृपया शासन के उक्त निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

अर्चना अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-8/2026/857(1)/तीस-4-2026-30-4099(099)/113/2026 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट में प्रकाशनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in